

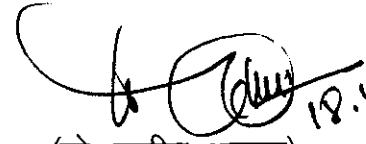
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2266 /

जबलपुर, दिनांक 23 / 04 / 2018

श्री राकेश कुमार बंजारा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी(कार्य का प्रकार भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर 12वी, बी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण करने की प्रविष्टी उनकी सेवा पुस्तिका एवं उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की वरिष्ठता सूची के काडर में उनके नाम के समक्ष किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी की पुनरावृत्ति करने पर उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

 18.4.18

(मो. फहीम अनवर)

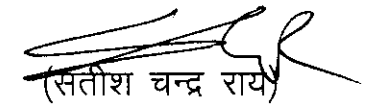
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/2267 /

जबलपुर, दिनांक 23/04/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार(प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर श्री राकेश कुमार बंजारा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी(कार्य का प्रकार भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के 12वी, बी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण करने की प्रविष्टी उनकी सेवा पुस्तिका में करने हेतु अंकसूची की छायाप्रति सहित,
7. श्री राकेश कुमार बंजारा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी(कार्य का प्रकार भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)
Bar

::-::